HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1670/2023

1. श्रीमती दाखा देवी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द, उम्र 52 वर्ष,
2. सुनील साटीवाल पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द, आयु 28 वर्ष,
निवासी ग्राम जगत शिरोमणीपुरा, पोस्ट मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

———प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण

बनाम

1. अमर सिंह नायक पुत्र श्री मिठालाल नायक, निवासी आंखथेडी, थाना पचेवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राज0।
(चालक वाहन ट्रक नंबर आर.जे.–14–जीए–3448)
2. गणेश नारायण चौधरी पुत्र श्री डालू राम चौधरी, निवासी 3, श्यामपुरा, ग्राम हासनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
(पंजीकृत वाहन स्वामी ट्रक नंबर आर.जे.–14–जीए–3448)
3. युनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड जरिये प्रबंधक कार्यालय – शापिंग सेन्टर, अम्बाबाडी, पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर।
(बीमा कंपनी वाहन ट्रक नंबर आर.जे.–14–जीए–3448)

———अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	:	Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Raaj Pal Chaudhary, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

06/05/2026

1. अपीलार्थीगण श्रीमती दाखा देवी व अन्य द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ठ न्यायालय, सा.दं.प्र.), जयपुर महानगर, जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या–727/2019, श्रीमती दाखा देवी व अन्य बनाम अमर सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, राजेश साटीवाल की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 69,10,000/– रुपये

क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण को कुल 9,79,520/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी मासिक आय तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर 26 दिन की आय 5,850/– रूपये मासिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि वक्त घटना मृतक खेतीबाड़ी व कृषि कार्य कर 15,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 04.05.2019 की बताई गयी है तथा क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 22 वर्ष की आयु का होना बताते हुए खेतीबाड़ी व कृषि कार्य कर 15,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय 225/– रूपये प्रतिदिन की दर से 26 दिनों के आधार पर 5,850/– रुपये निर्धारित की गई है। जबकि विद्वान अधिकरण को एक

मजदूर श्रेणी के व्यक्ति की 30 दिनों की आय निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 225/– रुपये, तद्नुसार मासिक आय 6,750/– रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी 40 प्रतिशत की गई है, जो उचित है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्यः** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 6,750/– रुपये पर 40 प्रतिशत अर्थात 2,700/– रूपये की भविष्य–वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 9,450/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती की गई है, जो उचित है। 9,450/– रुपये का 1/2 भाग 4,725/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 4,725/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 22 वर्ष होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्यः (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में 18 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 4,725/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति 4,725 x 12 x 18 = 10,20,600/– रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 व 2 को कंसोर्टियम की मद में प्रत्येक को 40,000/– रूपये, कुल 80,000/– रूपये की राशि दिलवाई गयी है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर**

उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है तथा जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है तथा जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः सम्पदा की हानि के मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	10,20,600/– रुपये
2.	कंसोर्टियम के मद में	80,000/– रुपये
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/– रुपये
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/– रुपये
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	11,30,600/– रुपये
6.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	9,79,520/– रुपये
7.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,51,080/– रुपये

12. तदनुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को 9,79,520/– रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 11,30,600/– रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

13. इस निर्णय द्वारा बढाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

14. तद्नुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

15. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /75s